मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—::—

क्र0 1949/आर 1133/चार/ब–1/09, भोपाल, दिनांक 5/11/2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय।

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बजट आवंटन की व्यवस्था।

संदर्भः इस विभाग का ज्ञाप क्र0 445/आर 1133/चार/ब–1/09, दिनांक 14, मार्च, 2012

—::—

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 से कोष एंव लेखा के माध्यम से जारी किये जाने वाले बजट आवंटन की प्रकिया में संशोधन करते हुए चिन्हित मदों में **केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था** लागू की गई है। इस व्यवस्था में समस्त मुख्य शीर्षो के कतिपय उददेश्य शीर्षो को शामिल किया गया था, जिनके बजट, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सौंपने के बजाय केन्द्रीयकृत रखा गया था। केन्द्रीयकृत बजट व्यवस्था उददेश्य शीर्ष स्तर पर होने के कारण वर्तमान में यह विकल्प नहीं है कि बजट नियंत्रण अधिकारी अपनी आवश्यकता अनुसार किसी योजना विशेष को इस नवीन केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था में शामिल कर सकें। इन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना, के सॉफटवेयर में आवश्यक संशोधन कर बजट नियंत्रण अधिकारी, मुख्य शीर्ष, योजना शीर्ष, उददेश्य शीर्ष एवं विस्तृत शीर्षवार केन्द्रीयकृत बजट आहरण प्रणाली लागू करने की व्यवस्था करायी गयी है। उक्त नवीन केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में बजट मदों को वित्तीय वर्ष 2013–2014 से शामिल किया जा सकेगा।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी बजट मद को केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था, में शामिल करने का निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायेगा। वर्तमान में जो मद केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था में शामिल है, उनमें कोई परिवर्तन प्रशासकीय विभाग द्वारा नहीं किया जा सकेगा। प्रशासकीय निर्णय उपरान्त संबंधित मद को इस व्यवस्था में शामिल करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय, कोष एवं लेखा, को प्रेषित (प्रारूप संलग्न) किया जा सकेगा। यह आवश्यक है कि नवीन केन्द्रीयकृत बजट आहरण प्रणाली अंतर्गत बजट मदों

निरन्तर........

का चयन कर दिनांक 1.4.2013 के पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा को सूचित कर दिया जाये, जिससे वित्तीय वर्ष 2013–2014 के प्रारंभ से ही संबंधित बजट मद में केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली लागू हो सके। अनुरोध है कि कृपया नवीन व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(मनीष रस्तोगी)
आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग,

पृ0क0 1950/आर 1133/चार/ब–1/09, भोपाल, दिनांक 5/11/2012

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. महालेखाकार, (लेखा एंव हकदारी/ऑडिट) 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग
13. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग
14. समस्त वित्तीय सलाहकार,
15. वित्तीय प्रबंध सुचना प्रणाली, वित्त विभाग
16. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन।
18. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शालाएँ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

<u>प्रपत्र</u>

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
भोपाल (म0प्र0)

विषयः बजट आवंटन को केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था में शामिल करने बबत।

–:::–

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 1949/आर 1133/चार/ब–1/09, दिनांक 05/11/2012 में निहित निर्देशानुसार विभाग के निम्नलिखित बजट प्रावधान को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में शामिल करने का कष्ट करें:–

बी सी ओ कोड	बी सी ओ का नाम	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना शीर्ष	उददेश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
1	2	3	4	7	9	10

(बजट नियंत्रण अधिकारी)

अपर सचिव/उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
....,....................विभाग